SETU

Activities During the Quarter

Consultation on Child Labour and Trafficking, jointly organized by Centre for Child Protection, Jaipur and International Justice Mission, New Delhi

Three Day Training on 'Child Friendly Policing' for Special Juvenile Police Units, Anti Human Trafficking Units and Public Prosecutors, organized in Jaipur and Sri Ganganagar, Rajasthan

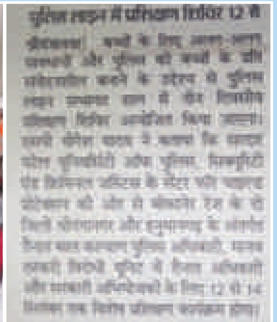

इस न्यूज लेटर का उद्देश्य पाठकों को बच्चों के अधिकारों से संबंधित पुलिस, सरकार, एवं अन्य लोगों, संस्थाओं द्वारा किये जा रहे प्रयासों से अवगत कराना है। इस न्यूजलेटर हेतु पाठकों के सुझाव, अनुभव, लेख सादर आमंत्रित है।

E-mail : ccp@policeunivercity.ac.in

न्यूज लेटर लेखन एवं संपादन :

सेन्टर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन

सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, राजस्थान

संपादकीय टीम :– CCP-SPUP Team

न्यूज लेटर

सेतु

सेन्टर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन द्वारा बाल संरक्षण को समर्पित

सितम्बर 2018 अंकः 12

विशेषांक : पोक्सो अधिनियम (2012)

निदेशक की कलम से

विश्व में सबसे ज्यादा बच्चों की जनसंख्या भारत में है। कुल जनसंख्या में से 18 साल से कम आयु के बच्चों की संख्या 47.2 करोड़ है और उनमें से 22.5 करोड़ लड़कियाँ हैं। बच्चों को सभी जगह यौन व अन्य प्रकार की हिंसा के शिकार होने का खतरा रहता है। रिपोर्ट किए गए बाल यौन शोषण के आँकड़े महज ''बड़ी समस्या की एक छोटी सी झलक''दर्शाते हैं। अत्यंत संवेदनशील मुद्दा होने की वजह से इस पर और ध्यान दिए जाने, सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने और सुधार लाने की जरूरत है। माता–पिता, स्कूल, पड़ोसी, स्वास्थ्य कर्मी, मीडिया, पुलिस, सामाजिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता, इत्यादि के रूप में हम सभी हितधारक हैं, और बच्चों के लिए हितकर व सहयोगी वातावरण बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। केवल जिम्मेदारियों के प्रति जागरुक होना ही काफी नहीं है, बल्कि प्रत्येक हितधारक को शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया के बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए।

बच्चों के लिए बचाव एवं सुरक्षा संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए, ''यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम'' 2012 (पोक्सो एक्ट, 2012) लागू किया गया है। यह एक्ट एक कानूनी प्लेटफार्म व फ्रेमवर्क प्रदान करता है, जिसके तहत बच्चों की यौन शोषणों एवं उत्पीड़नों से बचाव व सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है और अपराधियों को किए गए अपराध के अनुरूप सजा दी जाती है। यह एक मजबूत कानूनी फ्रेमवर्क है जिसे बच्चों की यौन शोषण/उत्पीड़न, अश्लीलता (पोर्नोग्राफी) इत्यादि से सुरक्षा करने के उद्देश्य से गठित किया गया है।

सभी हितधारकों को अपनी भूमिकाओं व जिम्मेदारियों के बारे में जागरुक होना चाहिए व उन्हें पता होना चाहिए कि कैसे बच्चों के सर्वोत्तम हित व भलाई के लिए काम किया जाए। यौन उत्पीड़न एवं अन्य प्रकार के शोषणों से सुरक्षित बच्चे एक स्वस्थ राष्ट्र की नींव का कार्य करेंगे।

उपरोक्त वृतांत को ध्यान में रखते हुए एवं समाज में यौन शोषण एवं उत्पीड़न के मुद्दे पर जागरुकता फैलाने का एक प्रयास करने के लिए, सेतु का यह अंक पोक्सो अधिनियम एवं संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं पर जरूरी जानकारी प्रदान करता है। इससे सभी संबंधित हितधारकों को दक्षता व सहुलियत के साथ इस दिशा में अपने कार्य करने में सहायता मिलेगी।

– **राजीव शर्मा**, आई.पी.एस.
निदेशक
सेन्टर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन
सरदार पटेल युनिवर्सिटी ऑफ पुलिस,
जोधपुर

सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय

विशेषांक : यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम (पोक्सो एक्ट), 2012

यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम (पोक्सो एक्ट), 2012

एक परिचय

भारत सरकार ने यौन अपराधों, उत्पीड़न, शोषण व अश्लीलता से बच्चों की सुरक्षा के लिए पोक्सो एक्ट लागू किया। यह अधिनियम न्यायिक व कानूनी प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर बच्चों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अपराधों का निपटारा विशेष अदालतों द्वारा किया जाता है एवं उनके लिए घटनाओं की रिपोर्टिंग, सबूतों की रिकॉर्डिंग, जाँच एवं त्वरित सुनवाई के लिए बाल मित्रपूर्ण प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। पोक्सो एक्ट 2012 की परिभाषा के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति बच्चा कहलाता है। यह अधिनियम बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों की पूर्ण एवं व्यापक रूप से पहचान करता है। यह प्रत्येक स्तर पर सभी बातों पर ध्यान देता है ताकि बच्चे का स्वास्थ्य, भावनात्मक, शारीरिक, सामाजिक व मानसिक विकास सुनिश्चित किया जा सके।

पोक्सो एक्ट की प्रमुख विशेषताएं

- जेंडर के संबंध में यह निष्पक्ष है। पोक्सो एक्ट के तहत लड़कों व लड़कियों में से कोई भी यौन आक्रमण एवं/या बलात्कार के पीड़ित हो सकते हैं।
- यौन अपराधों को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है और ये केवल बलात्कारों तक ही सीमित नहीं है। यह अधिनियम यौन आक्रमणों, यौन उत्पीड़न, व अश्लीलता (ऑडीयो व विडीयो माध्यमों से यौन शोषण) से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- पोक्सो एक्ट प्रभावशाली तरीके से न्याय दिलवाना सुनिश्चित करता है। यह मामलों की रिपोर्टिंग के लिए, और पीड़ित बच्चे के ब्यान दर्ज करने के लिए विशेष प्रक्रियाएं एवं ऐसे अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें स्थापित व प्रदान करता है।

शिकायत दर्ज करवाना : कौन शिकायत कर सकता है और किसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है

- यह अधिनियम रिपोर्टिंग की अनिवार्यता को संभव बनाता है। यदि किसी बच्चे को कोई अपराध होने का डर हो या उसे किसी अपराध के होने के बारे में जानकारी हो, तो वह स्थानीय पुलिस को या विशेष किशोर पुलिस इकाई को शिकायत दर्ज करवा सकता है।
- समाज का कोई भी हितधारक/व्यक्ति जो किसी भी अश्लील साहित्य (किसी भी माध्यम से) के सम्पर्क में आता है, वह स्थानीय पुलिस को या विशेष किशोर पुलिस इकाई को शिकायत दर्ज करवा सकता है।
- किसी व्यक्ति को बदनाम या अपमानित करने के लिए या नीचा दिखाने के लिए झूठी शिकायत दर्ज करवाया जाना भी इस अधिनियम के तहत एक दण्डनीय अपराध है। वास्तविक शिकायतें, जिनके लिए अपराध के होने की जानकारी उपलब्ध हो, उनके लिए किसी की जवाबदेही की जरूरत नहीं होती ।
- इस अधिनियम के तहत महिला व पुरुष दोनो दोषी हो सकते हैं। हालांकि, वैधनीय (पेनीट्रेटिव) यौन हमले के मामलों की शिकायत केवल पुरुषों के खिलाफ ही करवाई जा सकती है।

अधिनियम के तहत प्रमुख प्रक्रियाएं

इस अधिनियम के तहत माना गया है कि बाल यौन शोषण के पीड़ित बच्चे कमजोर स्थिति मे होते हैं इसलिए उनके बयान दर्ज करने से लेकर सुनवाई पूरी होने तक के पूरे समय के दौरान कुछ विशेष प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। अधिनियम के तहत यह अनिवार्य माना गया है कि बच्चे के बयान दर्ज किए जाने के लिए अपनाई जाने वाली सभी प्रक्रियाएं बच्चों के अनूकूल होनी चाहिए। बयान आमतौर पर बच्चे के घर पर या उसके रहने के स्थान पर या उसकी पसंद के स्थान पर ही दर्ज किए जाने चाहिए। पीड़ित के बयान दर्ज करते समय कोई वकील या एड्वोकेट मौजूद नहीं होना चाहिए। यदि कोई अपराध पोक्सो अधिनियम के साथ साथ भारतीय दण्ड संहिता (IPC) के अन्तर्गत आता है तो दोषी को पोक्सो एक्ट या आईपीसी दोनो में से किसी के भी तहत सजा दी जा सकती है।

1. https://www.cplibrary.in/uploads/Publication/Pocso_made-simple.pdf

पोक्सो अधिनियम के तहत विशेष अदालतें/न्यायालय

- अधिनियम के तहत विशेष अदालतें स्थापित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बच्चों के लिए मित्रपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए यह जरूरी है।
- सुनवाई के दौरान बच्चा बार–बार विराम/छुट्टी ले सकता है
- यह सुनिश्चित किया जाता है कि बच्चे को बयान लेने के लिए या जांच के लिए बार–बार या जल्दी जल्दी नहीं बुलाया जाना चाहिए।
- पोक्सो अधिनियम के तहत आने वाले मामलों से निपटने के लिए प्रत्येक विशेष अदालत में विशेष पब्लिक प्रोसिक्यूटर (अभियोजक) नियुक्त होना चाहिए।
- विशेष पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा बच्चे से सीधे रूप से प्रश्न नहीं किए जाने चाहिए या काउंसलिंग नहीं की जानी चाहिए। बच्चे से पूछे जाने वाले प्रश्न प्रोसिक्यूटर द्वारा जाँच या क्रॉस–जाँच के दौरान विशेष अदालत से किए जाने चाहिए।
- सुनवाई व्यक्तिगत रूप से एकान्त में (इन कैमरा ट्रायल) की जानी चाहिए। जो व्यक्ति मामले से जुड़े हुए नहीं हों, उन्हें कोर्ट रूम में आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, इनमें मीडिया/प्रेस भी शामिल हैं।
- विशेष अदालत को यह सुनिश्चित करना होता है कि बच्चे के बयान या सबूत दर्ज करते समय बच्चा अपराधी के सम्पर्क में नहीं आए या उसे देख भी न सके।

पोक्सो अधिनियम के तहत मामलों की रिपोर्टिंग

- बच्चों पर होने वाले अपराधों की शिकायत किशोर विशेष पुलिस इकाई (SJPU) या स्थानीय पुलिस को दर्ज करवाई जा सकती है।
- शिकायत प्राप्त होने पर इसे आसानी से समझ आने वाली सामान्य भाषा में लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। इसे एक एंट्री नम्बर देने के बाद SJPU के पास रखी जाने वाली एक बुक में दर्ज किया जाना चाहिए।
- कोई भी व्यक्ति, जो अच्छी भावना से जानकारी प्रदान करता है तो उस पर कोई दायित्व नहीं छोड़ा जाना चाहिए।
- यदि किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक स्थान, जैसे होटल, लॉज आदि, जगहों पर किसी यौन शोषण संबंधित जानकारी या सामग्री का पता चलता है तो उसे इसके बारे में स्थानीय पुलिस या SJPU को सूचित करना चाहिए।
- मीडिया द्वारा किसी भी दस्तावेज के माध्यम से बच्चे की पहचान का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए। उसकी पहचान संबंधित जानकारी में शामिल हैं उसका नाम, पता, परिवार की स्थिति, शिक्षा का स्तर, आर्थिक स्थिति, स्कूल इत्यादि।

बयान दर्ज करना

- बच्चे के बयान उसके निवास स्थान पर कम से कम सब–इंस्पेक्टर की रैंक की महिला पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में दर्ज किए जाने चाहिए। पुलिस अधिकारी को बच्चे के सामने वर्दी में नहीं आना चाहिए।
- पुलिस अधिकारी की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह पीड़ित को अपराधी का सामना होने से और देखने तक से सुरक्षित रखे।
- बच्चे को पुलिस स्टेशन में रात में आने के लिए या वहां रुकने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए।
- पुलिस अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे की पहचान का खुलासा मीडिया के समक्ष न हो, जब तक कि ऐसा करने के लिए बच्चे के सर्वोत्तम हित में कानूनन कोई निर्देश न मिले।
- बच्चे के बयान बिल्कुल वैसे ही दर्ज किए जाने चाहिए जैसे बच्चे ने बोले हों।
- बच्चे व उसके माता–पिता या अभिभावक या प्रतिनिधि को चार्ज शीट की प्रति या पुलिस द्वारा दर्ज की जा रही फाईनल रिपोर्ट की प्रति प्रदान की जानी चाहिए।
- बच्चे के बयान उसके माता–पिता या किसी ऐसे व्यक्ति के सामने दर्ज किए जाने चाहिए जिस पर वह भरोसा करता/करती हो।
- यदि बच्चे को कोई शारीरिक या मानसिक अक्षमता हो तो पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को विशेष शिक्षक या किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता लेनी चाहिए जो बच्चे के संचार

पोक्सो अधिनियम के तहत प्रक्रियाओं का फ्लोचार्ट

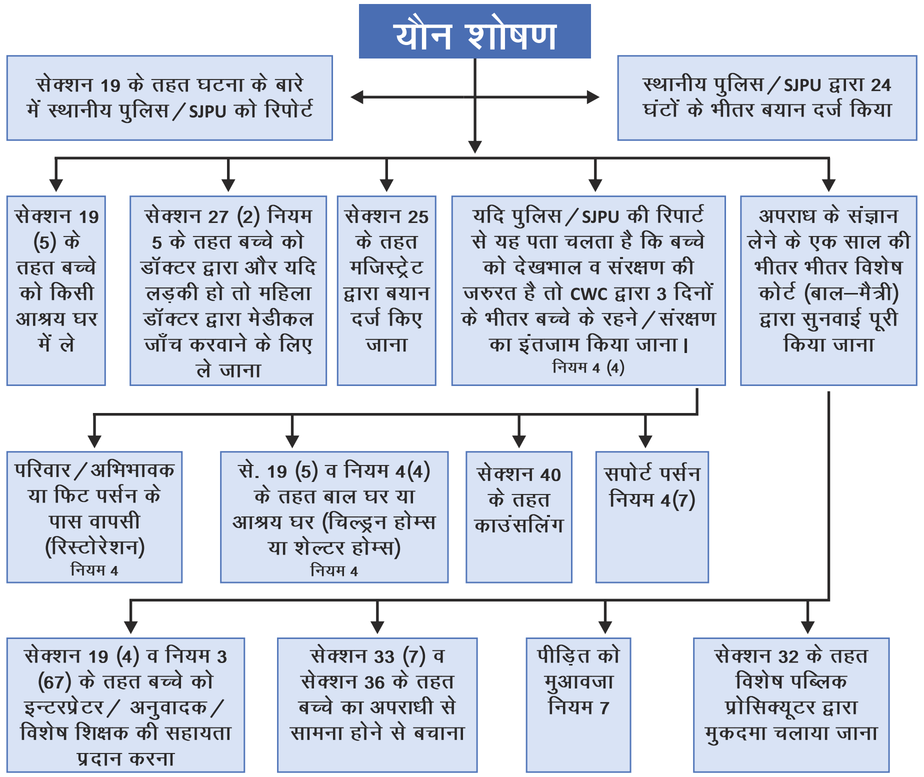

Source: http://ncpcr.gov.in/showfile.php?lang=1&level=1&&sublinkid=1289&lid=1514

के तरीके को समझता / समझती हो।

- इस बात से संतुष्ट होने पर कि बच्चे को देखभाल और संरक्षण की जरूरत है, SJPU या स्थानीय पुलिस द्वारा बच्चे के लिए तुरन्त जरूरी इन्तजाम किए जाने चाहिए ताकि वह एक सुरक्षित और महफूज़ वातावरण में रह सके। ऐसा रिपोर्ट किए जाने के 24 घंटो के भीतर किया जाना चाहिए और मामले की रिपोर्ट बाल कल्याण समीति (CWC) को की जानी चाहिए।

मेडिकल जाँच

- यदि पीड़ित एक बच्ची है तो मेडिकल जाँच महिला डॉक्टर द्वारा ही की जानी चाहिए।
- मेडिकल जाँच बच्चे के माता–पिता या भरोसेमंद व्यक्ति की उपस्थिति में की जानी चाहिए।
- यदि किसी कारण से बच्चे के माता–पिता उपस्थित नहीं हो सकते हों तो मेडिकल जाँच एक ऐसी महिला की उपस्थिति में की जानी चाहिए जिसे संस्थान के चिकित्सा प्रभारी द्वारा नामित किया गया हो।

धाराएं : अपराध व सजा

क्र.सं.	अपराध	सजा
1.	वेधनीय (पेनिट्रेटिव) यौन हमला (सेक्शन 3)	कम से कम सात साल का कारावास जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकता है, और जुर्माना (सेक्शन 4)
2.	गंभीर वेधनीय (एग्रवेटेड पेनिट्रेटिव) यौन हमला (सेक्शन 5)	कम से कम दस साल का कारावास जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकता है और जुर्माना (सेक्शन 6)
3.	यौन हमला (सेक्शन 7)	कम से कम तीन साल का कारावास जो पांच साल तक बढ़ सकता है, और जुर्माना (सेक्शन 8)
4.	गंभीर (एग्रवेटेड) यौन हमला (सेक्शन 9)	कम से कम पांच साल का कारावास जो सात साल तक बढ़ सकता है, और जुर्माना (सेक्शन 10)
5.	बच्चे का यौन उत्पीड़न (सेक्शन 11)	तीन वर्ष का कारावास और जुर्माना (सेक्शन 12)
6.	अश्लीलता के (पोर्नोग्राफिक) उद्देश्य से बच्चे का उपयोग (सेक्शन 13)	पांच वर्ष का कारावास और जुर्माना साथ ही और अपराध सिद्ध होने पर सात साल की सजा और जुर्माना (सेक्शन 14(1)

Source: https://www.cplibrary.in/uploads/Publication/Pocso_made-simple.pdf

पोक्सो एक्ट 2012 में संशोधन[2]

- बाल यौन शोषण के विभन्न मुद्दों का समुचित रूप से निपटारा करने के उद्देश्य से पोक्सो एक्ट 2012 के धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 9, धारा 14, धारा 15 और धारा 42 में संशोधन किए गए हैं। भारत में बच्चों पर होने वाले योन शोषण के मामलों में लगातार होने वाली वृद्धि पर लगाम लगाने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी ऐसा किया गया है।
- कड़ी सजा का विकल्प देते हुए एक निवारक की भूमिका अदा करने के लिए धारा 4, धारा 5 और धारा 6 में संशोधन किए गए हैं जिसमें वैधनीय यौन हमला करने के लिए मृत्युदण्ड की सजा दिया जाना भी शामिल है।
- प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बच्चों पर होने वाले यौन अपराधों से उनकी सुरक्षा के लिए सेक्शन 9 में संशोधन का प्रावधान दिया गया है। यह उन मामलों को भी शामिल करता है जिनमें वैधनीय यौन क्रिया करने के उद्देश्य से बच्चों को समय से पहले यौन परिपक्व बनाने के लिए उन्हें हार्मोन्स या अन्य रासायनिक तत्व दिए जाते हैं।
- बाल अश्लीलता (पोर्नोग्राफी) को नियंत्रित करने के लिए धारा 14 व धारा 15 में संशोधन के प्रावधान दिए गए हैं। ऐसी पोर्नोग्राफिक सामग्री जिसमें कोई बच्चा शामिल हो, यदि उसे डिलीट या नष्ट नहीं किया जाता या रिपोर्ट किए बिना उसे रखा जाता है तो उसके लिए जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा यदि ऐसी सामाग्री (कंटेंट) का किसी तरीके से प्रयोग किया जाता है / या किसी को भेजा जाता है (आदेश अनुसार रिपोर्टिंग करने के लिए या कोर्ट में सबूत के रूप में पेश करने के अलावा) तो इसके लिए अतिरिक्त जुर्माना या जेल या दोनो की सजा हो सकती है। व्यावसायिक उद्देश्यों से ऐसी पोर्नोग्राफिक सामग्री रखने या स्टोर करने के लिए कठोर दण्ड के प्रावधान दिए गए हैं।

2. Source: http://www.pib.nic.in/ Pressreleaseshare.aspx? PRID=1557593

खबरों में पोक्सो

राजस्थान राज्य ने 19 साल के युवक को सात महीने की बच्ची का बलात्कार करने के जुर्म में मृत्युदण्ड की सजा सुनाई[3]

21 जुलाई, 2018–जयपुर : शनिवार को अलवर की एक कोर्ट ने बलात्कार के एक मामले में मृत्युदण्ड की सजा सुनाई। राजस्थान में 12 साल से कम आयु के नाबालिगों के बलात्कार के दोषियों के लिए मृत्युदण्ड की माँग करने वाले अधिनियम के मार्च में पारित होने के बाद यह इस नियम के तहत मृत्युदण्ड की पहली सजा है। अपराधी घोषित होने के 22 दिनों और तीन दिनों बाद सजा सुनाए जाने के लिए विशेष न्यायाधीश जगेंद्र कुमार अग्रवाल ने अदालत में कुल 12 सुनवाईयाँ की। अपराधी को गिरफ्तार किया गया और भारतीय दण्ड संहिता व पॉक्सो अधिनियम दोनो की उचित धाराओं के तहत उसे दण्डित किया गया। ''आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश के बाद राजस्थान में यह पहला मामला है, जो कि आईपीसी की धारा 376 AB के तहत आता है, जिसे 21 अप्रैल को प्रभाव में लाया गया था, इसके तहत 12 साल से कम आयु की लड़की का बलात्कार करने पर मृत्युदण्ड का प्रावधान है'', जैसा कि डीजीपी ओ.पी. गल्होत्रा ने बताया।

3. http://www.newindianexpress.com/nation/2018/jul/21/rajasthan-awards-first-death-sentence-under-pocso-to-19-year-old-who-raped-seven-month-old-baby-1846640.html

शोषण के बारे में किसी नाबालिग पीड़ित के बयानो में विसंगति होने के कारण केस कमजोर नहीं हो सकता : न्यायालय[4]

5 अगस्त, 2018–नई दिल्ली : जाँच ऐजेंसियाँ यौन शोषण के पीड़ित बच्चे के कई बयान दर्ज कर सकती हैं और बच्चे के बाद के बयानों को पहले के बयानों से अलग या असंगत होने के कारण अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल व न्यायाधीश अनु मल्होत्रा की एक बैंच ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा सभी बयानों की ध्यानपूर्वक जाँच की जानी चाहिए ताकि सम्पूर्ण न्याय सुनिश्चित हो सके। बैंच ने कहा कि ''बच्चे एक बार में सब कुछ न बताकर कई टुकड़ों में कुछ–कुछ बताते हैं''। जे.जे.बी. मजिस्ट्रेट द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर देते हुए हाई कोर्ट ने कहा, ''जाँच ऐजेंसियाँ पीड़ितों के कई बयान रिकार्ड कर सकती हैं। पुलिस द्वारा कई बयान दर्ज करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है''।

4. https://www.ndtv.com/india-news/discrepancy-in-statement-of-minor-abuse-victim-cant-weaken-case-court-1895380

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक: कई अहम फैसलों पर मुहर

अब बच्चों से संगीन यौन अपराध पर फांसी, बदलेगा पोक्सो कानून

नई दिल्ली @पत्रिका . केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार शाम कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इनमें सबसे अहम है बाल यौन अपराध संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम में बदलाव। मंजूर मसौदे के अनुसार बच्चों के खिलाफ संगीन यौन अपराध करने पर मौत की सजा भी हो सकती है। अब इसे संसद में पेश किया जाएगा। गगनयान परियोजना व देसी चिकित्सा के लिए एनसीआइएम विधेयक को भी मंजूरी दे दी गई।

बच्चों की सुरक्षा के लिए कड़ा रुख

7 धाराओं में संशोधन

पोक्सो अधिनियम की धारा 4, 5, 6, 9, 14, 15 और 42 में संशोध... बच्चों से गंभीर यौन अपराध करने पर मौत की सजा के समेत कठोर दंड के प्रावधान जोड़े गए।

हार्मोन दिए तो मृत्युदंड

बच्चों की जल्द यौन परिपक्वता के लिए उन्हें हार्मोन या कोई रसायन खिलाना या इंजेक्ट करना या करने की कोशिश संगीन यौन अपराध माना जाएगा। इसमें भी मृत्युदंड।

बाल पोर्नोग्राफी पर 5 साल की जेल

धारा 14 और 15 में संशोधन कर बच्चों की पोर्नोग्राफिक सामग्री के भंडारण, उसे नष्ट न करने/डिलीट न करने पर जुर्माने का प्रस्ताव। ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार की सामग्री का प्रसारण/प्रचार/किसी अन्य तरीके से इस्तेमाल पर पहली बार पांच वर्ष की जेल और दूसरी बार दोष सिद्ध होने पर सात वर्ष की जेल और जुर्माना।

दूरगामी परिणाम

कठोर दंड के प्रावधान से बच्चों के प्रति यौन अपराध रोकने में मदद
मोबाइल के दौर में पोर्नोग्राफी माफिया के जाल से बचेंगे बच्चे

पत्रिका Sat. 29 December 2018 epaper.patrika.com/c/35294639

राजस्थान सरकार 55 पोक्सो न्यायालय / कोर्ट खोलेगी[5]

अगस्त 2, 2018 – जयपुर : माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य मे 55 पोक्सो कोर्ट खोलने के लिए अनुमोदन किया है। इनमे से, 6 कोर्ट जयपुर में खोली जाएगी, 5 कोटा में, 4 अलवर में, 3 पाली में और 2–2 कोर्ट बारां, अजमेर, उदयपुर, झालावाड़, बूंदी, और भीलवाड़ा और अन्य 23 जिलो में 1–1 कोर्ट खोली जाएगी। एक ऐसी ही कोर्ट राज्य की राजधानी मे पहले से कार्यरत है। ये सभी न्यायालय बच्चों के साथ होने वाले अपराधों वाले मामलों के लिए तैयार किए जाएंगे, खासकर बलात्कार के मामले। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आरोपियों की सजा जल्द से जल्द तय की जाए।

5. https://www.thehindu.com/news/national/other-states/rajasthan-govt-approves-setting-up-of-55-pocso-courts/article24574423.ece

बाल यौन शोषण के पीड़ितों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए और कैसा नहीं

करें	नहीं करें
बच्चे के नजदीक/सम्पर्क में रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी रखें और सचेत रहें	घटना/कष्ट के लिए बच्चे को दोषी ठहराना
शोषण की घटना के बारे में नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें	घटना के बारे में जानकारी मिलने पर कठोरता से और भड़क कर प्रतिक्रिया करना
बच्चे से घटना की जानकारी लेने के लिए चर्चा करते समय संवेदनशीलता से पेश आना	बच्चे को कहीं और से सहायता लेने से मना करना
चाईल्ड–लाईन से सहायता लेना और 1098 पर कॉल करना	बच्चे को उस व्यक्ति के पास या उस स्थान पर वापस भेजने की कोशिश करना जिससे/जहां से उसे परेशानी हुई हो।
यह सुनिश्चित करना कि घटना के तुरन्त बाद बच्चे की मेडीकल जाँच करवाई जाए	मीडिया या किसी अन्य को बच्चे की पहचान बताना
यदि बच्चा किसी व्यक्ति, शारीरिक चोट/परेशानी या किसी घटना के बारे में शिकायत करता है/करती है तो उसे ध्यान से और धैर्य से सुनना चाहिए	बच्चे को जरूरी चिकित्सा सेवा नहीं दिलवाना
जब बच्चा कुछ बताने लगे तो उस पर हमेशा भरोसा करें	शोषण की घटना की रिपोर्ट पुलिस को नहीं करना
बच्चे को उस स्थान पर रखना चाहिए जहां वह आरामदायक महसूस करे	अपराध की जानकारी होने के बावजूद भी कोई भी जरूरी कदम नहीं उठाना

Do's and Don'ts of Dealing with Victims of Child Sexual Abuse

Do's	Don'ts
Be aware and concerned with people close to the child	Blame the child for the incident / discomfort
Reporting the incident of abuse at the nearest police station	React harshly or in extreme when the incident is reported
Exhibit sensitivity to the child while discussing about the details of the incident with the child	Ask the child to not to seek assistance from anywhere else
Seek help from CHILDLINE and call 1098	Try to send the child back to person with whom or place with which he / she is not comfortable
Ensuring that the child has undergone medical examination soon after the incident	Disclose the identity of the child to anyone, including media
Listen to the child carefully and patiently when he complains about any person, physical injury / discomfort or any incident	Not getting the child required medical attention
Always believe your child when he confides in you	Not reporting the incident of abuse to the police
Keep the child in a place he/she is comfortable at	Not taking necessary action even upon being aware about the occurrence of the crime

Newsletter
SETU
Dedicated to child protection by Centre for Child Protection (CCP)
September 2018 EDITION : 12

Theme: POCSO Act (2012)

From Director's Desk:

India is a country with one of the largest population of children in the world. Children, under the age of 18 years, constitute about 472 million of the total population out of which 225 million are girls.Children, everywhere, are the soft target of the sexual form of violence, among others.The data on reported Child Sexual Abuse is over the 'Tip of the Iceberg'. Since, the issue is extremely sensitive, it calls for attention, proactive action and redressal. Each of us as parents, school authorities, neighbours, healthcare professionals, media, police, social organizations, social workers, are the stakeholders and responsible for creating an environment conducive for children. It is not only about being aware of the responsibilities, but the stakeholders must also be cognizant of the grievance handling mechanism.

To cater to the safety and security issues of the children, The Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012, has been put in place. The Act serves a legal platform and framework under which the safety of the children from sexual abuse and exploitation is ensured and the offenders are punished as per the crime. It is a robust legal framework which has been provided with the aim of protecting children from sexual abuse / harassment, pornography, etc.

All the stakeholders must be aware of their roles and responsibilities and must know how to act for the well-being and best interests of the child. Children protected from sexual harassment and abuse of any kind will lay down foundation of a healthy Nation.

Keeping the above in consideration and in an attempt to educate the masses on the issue of sexual harassment and abuse, the present quarterly edition of SETU comprises of the essential information about POCSO and the related important aspects to facilitate concerned stakeholders in performing their assigned tasks with ease and professionalism.

Rajeev Sharma (IPS)
Director, Centre for Child Protection
Sardar Patel University of Police,
Jodhpur

Centre for Child Protection
Sardar Patel University of Police, Security and Criminal Justice, Rajasthan
Theme: Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012

Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012

An Introduction

The POCSO Act was enacted and put in place by the Government of India to protect children from sexual offences; harassment, abuse and pornography. The Act ensures safeguarding the interests of the child at each and every level of the judicial and legal process. There is an incorporation of child-friendly mechanisms for the reporting of incidents, recording the evidences, investigation and speedy trial of the offences which are dealt with at the special designated courts of law. POCSO Act 2012 defines a child as any person who is under the age of 18 years and offers a complete and comprehensive recognition of sexual crimes against children. It pays attention to all details at each and every stage so that the healthy emotional, physical, social and intellectual development of the child.

Key Features of POCSO Act

- It is neutral in terms of gender. Both boys and girls can be either the victims or the survivors of rape and/ or sexual assault under the POCSO Act.
- The sexual offences have been defined broadly and it is not just restricted to rape. The Act ensures protection of children from offences of sexual assault, sexual harassment, and pornography (audio or video form of sexual content).
- The POCSO Act ensures access to justice in an effective manner. It provides for the establishing special procedures for reporting the cases, special procedures for recording the statement of the child victim, and Special Courts for the trial of such offences.

Filing Complaint: Who Can Complain & Against Whom Complaint Can be Filed[1]

- The Act provides for Mandatory reporting. Any child apprehensive of crime likely to be committed or has knowledge of crime that has been committed can file a complaint to the local police or to the Special Juvenile Police Unit.
- Any of the stakeholders of the society, coming across any child pornographic content (through any medium), shall report to the local police or the Special Juvenile Police Unit.
- False complaints lodged with an intent to defame, insult or humiliate someone, is punishable under the Act. Complaints which are actual wherein there is information about the occurrence of the crime, does not call for any liability.
- Under the Act, men and women both can be the offenders. However, the complaints of penetrative sexual assault can only be filed against a man.

1. https://www.cplibrary.in/uploads/Publication/Pocso_made-simple.pdf

Special Procedures Under the Act

The Act recognizes that the victims of child sexual abuse are vulnerable and hence, puts in place certain special procedures that assist the child through the entire tenure of recording of his / her statement to the conclusion of the trial. Under the Act, it is mandated that the procedures followed while recording the statement of the child should be child friendly. The statement is usually recorded either at the place at the child's home, or where he / she resides or a place of the child's choice. The lawyer or the advocate is not allowed to be present while at the time of recording the statement of the victim. in case, an offence is committed under POCSO as well as under a relevant section of the IPC, the perpetrator is liable for a punishment under the POCSO Act or under IPC.

Special Courts Under POCSO Act

- The special courts to be set up has been mandated in the Act. This is necessary in order to form a child-friendly environment for the child.
- A child may take frequent breaks during the trial.
- It is ensured that the child is not called repeatedly / frequently for testifying.
- There shall be Special Public Prosecutors appointed for every special court dealing with the cases falling under the POCSO Act.
- The child shall not be questioned directly by the Special Public Prosecutors or the counsel. The prosecutor shall pose the question to the special court to be asked from the child during, examination and cross-examination.
- The trials shall be conducted in camera and in person. People who are not connected with the case, shall not be allowed in the court room, which includes media / press as well.
- The special court shall ensure that the child does not get in contact with or even see the accused while the statement or evidence of the child is being recorded.

Reporting of Cases Under POCSO Act

- the complaints of offences against children may be filed at the Special Juvenile Police Unit (SJPU) or to the local police
- when the complaint is received, it must be recorded in writing in simple language which can be easily understood. After allotting an entry number to it, it shall be recorded in a book to be kept by the SJPU
- Any person, providing the information in good faith, shall not incur any liability
- Any person at any public place viz. hotel, lodge, etc., if comes to know about any information, material or object which is sexually exploitative, must report to the local police or the SJPU
- None of the documents in any means of media, shall expose the identity of the child. The details related to the identity include his / her name, address, family constitution, educational status, economic / financial status, school, etc., among others.

Recording Statement

- The child's statement must be recorded at the place of his / her residence in the presence of a women police officer not below the rank of Sub – Inspector. The police officer shall not present before the child in uniform
- It is the primary responsibility of the police officer to refrain the victim from getting in contact or even the sight of the accused
- The child shall not be made to stay or be present in the police station during night
- The police officer shall also ensure that the child's identity does not get disclosed to media, unless directed by the court of law for the best interest of the child
- The statements of the child shall be recorded 'exactly as spoken' by the child
- The child and his / her parents or guardian or representative should be provided a copy of the charge sheet or the final report being filed by the police
- The child's statements shall be recorded in the presence of his / her parents or someone whom the child confides in and finds

Flowchart of Processes under POCSO

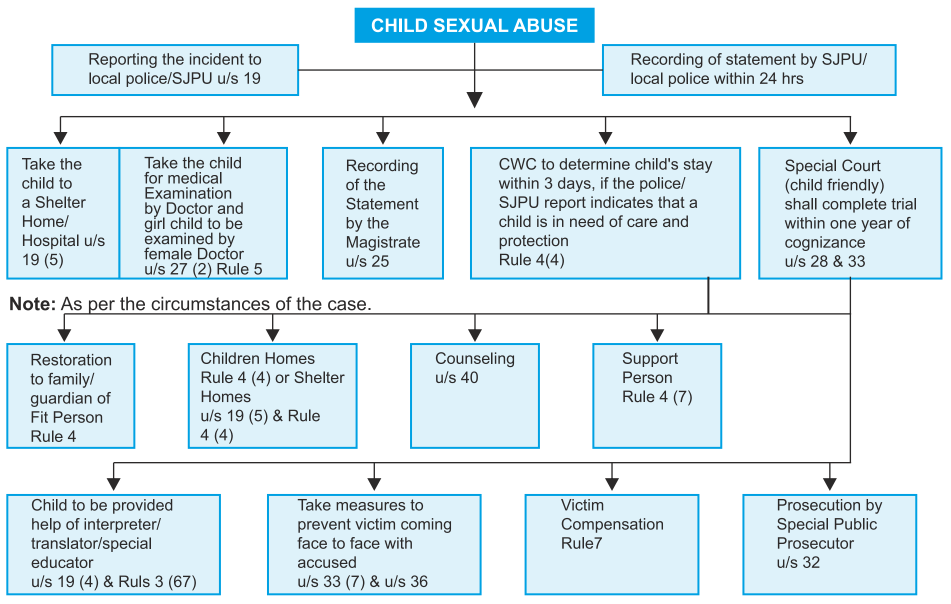

Source: http://ncpcr.gov.in/showfile.php?lang=1&level=1&&sublinkid=1289&lid=1514

trustworthy

- In case a child having any physical or mental disability, the police officer or the magistrate shall take assistance of a special educator or any other person familiar with the manner the child corresponds
- Upon being satisfied that the child is in need of care and protection, the SJPU or the local police shall immediately make arrangements for the child so that he resides in a safe and protected environment. This shall be done within twenty-four hours of the report and report the matter to the Child Welfare Committee (CWC)

Medical Examination

- The medical examination shall be conducted by a lady doctor if the victim is a girl child
- The medical examination shall be conducted in the physical presence of the child's parents or any of the confidants
- In case, the parent of the child is not able to be present due to any reason, the medical examination shall be conducted in the presence of a woman who shall be nominated by the head of the medical institution.

Sections: Offences & Punishment

Sl.	Offence	Punishment
1.	Penetrative Sexual Assault (sec3)	Not less than seven years which my Extend to imprisonment for life, and fine (Sec-4)
2.	Aggravated Penetrative Sexual Assault (Sec-5)	Not less than ten years which may extend to imprisonment for life, and find (Sec-6)
3.	Sexual Assault (sec-7)	Not less than three years which may Extend to five years, and fine (sec-8)
4.	Aggrawated Sexual Assault (section-9)	Not less than five years which may Extend to seven years, and fine (section-10)
5.	Sexual Harassment of the Child (Section-11)	Three years and fine (Section-12)
6.	Use of child for Pornographic purposes (Section-13)	Five years and fine and in the event of subsequent conviction, Seven years and fine Section-14 (1)

Source: https://www.cplibrary.in/uploads/Publication/Pocso_made-simple.pdf

Amendment in the POCSO Act, 2012[2]

- The amendment in Section 4, Section 5, Section 6, Section 9, Section 14, Section 15, Section 42 of the POCSO Act, 2012, have been made to address various aspects of child sexual abuse appropriately. It has also been done for addressing the need for the requirement of stringent measures needed to deter / discourage the constant rise in the trend of sexual abuse against children in India.
- The Section4, Section5 and Section have been amended in order to serve as a deterrent to offer an option for stringent punishment, which includes death penalty, for committing aggravated penetrative sexual assault.
- The amendments in the Section-9 have been proposed in order to protect the children from sexual offences in the course of natural calamities and disasters. It also covers cases where the children are administered any hormones or other chemical substances for the attainment of early sexual maturity for the purpose of penetrative sexual act.
- The Section 14 and Section 15 have also been proposed for the amendment for addressing child pornography. Fine shall be levied in case the pornographic content involving a child is not deleted, destroyed or any such content is kept unreported. Further penalisation can be jail term or fine or both administering / transferring / any such content except for the purpose of reporting as prescribed and for using it as an evidence in the court. Strong penal provisions have been made for possession / storage of any pornographic content which involves a child, for commercial purposes.

2. Source: http://www.pib.nic.in/Pressreleaseshare.aspx? PRID=1557593

POCSO in News

Rajasthan awards first death sentence under POCSO to 19 year-old who raped seven-month-old baby[3]

July 21st, 2018- JAIPUR: On Saturday, an Alwar court announced death penalty in a rape case for the first time ever since an Act was passed in March that entailed capital punishment for culprits raping minors below the age of 12 in Rajasthan Special judge Jagendra Kumar Agarwal took 12 hearings over 22 days before convicting the accused and announcing the quantum of punishment three days later. The accused was arrested and slapped charged under the relevant sections of under the IPC and the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act. It is the first such case in Rajasthan after the criminal law (amendment) ordinance, which introduced IPC Section 376 AB came into force on April 21 under which the provision of death penalty for raping a girl below 12 years of age was introduced, according to DGP OP Galhotra.

3. http://www.newindianexpress.com/nation/2018/jul/21/rajasthan-awards-first-death-sentence-under-pocso-to-19-year-old-who-raped-seven-month-old-baby-1846640.html

Discrepancy in Statement of Minor Abuse Victim Can't Weaken Case: Court[4]

Investigating agencies can record multiple statements of a child victim of sexual abuse and a contradictory initial account of the incident would not be a reason to disbelieve subsequent versions by the minor. A bench of Acting Chief Justice Gita Mittal and Justice Anu Malhotra said that the multiple statements should be carefully scrutinized by the trial courts to ensure that complete justice is done. The bench said that children "do not disclose in one go but do so in piece meal". Answering the queries raised by the JJB magistrate, the high court said, "The law allows the investigating agencies to record multiple statements of the victims. There is no prohibition on recording multiple statements by the police.

4. https://www.ndtv.com/india-news/discrepancy-in-statement-of-minor-abuse-victim-cant-weaken-case-court-1895380

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक: कई अहम फैसलों पर मुहर

अब बच्चों से संगीन यौन अपराध पर फांसी, बदलेगा पोक्सो कानून

नई दिल्ली @पत्रिका . केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार शाम कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इनमें सबसे अहम है बाल यौन अपराध संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम में बदलाव। मंजूर मसौदे के अनुसार बच्चों के खिलाफ संगीन यौन अपराध करने पर मौत की सजा भी हो सकती है। अब इसे संसद में पेश किया जाएगा। गगनयान परियोजना व देसी चिकित्सा के लिए एनसीआइएसएम विधेयक को भी मंजूरी दे दी गई।

बच्चों की सुरक्षा के लिए कड़ा रुख

7 धाराओं में संशोधन

पोक्सो अधिनियम की धारा 4, 5, 6, 9, 14, 15 और 42 में संशोधन बच्चों से गंभीर यौन अपराध करने पर मौत की सजा के समेत कठोर दंड के प्रावधान जोड़े गए।

हार्मोन दिए तो मृत्युदंड

बच्चों की जल्द यौन परिपक्वता के लिए उन्हें हार्मोन या कोई रसायन खिलाना या इंजेक्ट करना या करने की कोशिश संगीन यौन अपराध माना जाएगा। इसमें भी मृत्युदंड।

बाल पोर्नोग्राफी पर 5 साल की जेल

धारा 14 और 15 में संशोधन कर बच्चों की पोर्नोग्राफिक सामग्री के भंडारण, उसे नष्ट न करने/डिलीट न करने पर जुर्माने का प्रस्ताव। ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार की सामग्री का प्रसारण/प्रचार/किसी अन्य तरीके से इस्तेमाल पर पहली बार पांच वर्ष की जेल और दूसरी बार दोष सिद्ध होने पर सात वर्ष की जेल और जुर्माना।

दूरगामी परिणाम

कठोर दंड के प्रावधान से बच्चों के प्रति यौन अपराध रोकने में मदद
मोबाइल के दौर में पोर्नोग्राफी माफिया के जाल से बचेंगे बच्चे

पत्रिका Sat. 29 December 2018 epaper.patrika.com/c/35294639

Rajasthan Government to open 55 POCSO Courts[5]

August 02nd, 2018- Jaipur: The Hon'ble Chief Minister approved to open 55 POCSO courts in the State. Out of this, six courts shall be opened in Jaipur, five in Kota, four in Alwar, three in Pali and two each in Baran, Ajmer, Udaipur, Jhalawar, Bharatpur, Bundi and Bhilwara, with one each court in 23 districts of Rajasthan. One such court is already operational in the state capital. These courts will be set up to deal with the cases of crime against children, particularly rape cases. This shall also be ensured that the accused are convicted at the earliest.

5. https://www.thehindu.com/news/national/other-states/rajasthan-govt-approves-setting-up-of-55-pocso-courts/article24574423.ece